2020 का विधेयक संख्यांक 55.

[दि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1971 का 34 **2.** गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 3 का संशोधन ।

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "चिकित्सा बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन गठित चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "गर्भ का समापन" से चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय पद्धतियों का उपयोग करते हुए किसी गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ।'।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गर्भावस्था का समापन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा वहां किया जा सकेगा,—

(क) जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की ; या

(ख) ऐसी स्त्री की कोटि की दशा में, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाए, जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक है किंतु चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की,

सदभावपूर्वक यह राय है कि—

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अंतर्वलित होगी ; या

(ii) इस बात का सारवान जोखिम है कि यदि बालक जन्म लेता तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता से ग्रसित होगा ।

स्पष्टीकरण 1—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई गर्भावस्था किसी स्त्री या उसके भागीदार द्वारा बालकों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई किसी युक्ति या पद्धति की असफलता का परिणाम है, तो ऐसी गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप, गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारणा करेगा ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी गर्भावस्था का किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलात्संग द्वारा कारित किए जाने का अभिकथन किया जाता है, तो गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारणा करेगा ।

(2क) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी विभिन्न गर्भावधियों के गर्भ के समापन के लिए राय की अपेक्षा है, के मानक वे होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

(2ख) गर्भावस्था की समयावधि से संबंधित उपधारा (2) के उपबंध किसी

चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था के समापन को वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा गर्भावस्था के ऐसे समापन को किसी सारवान भ्रूण-अप्रसामान्यता के निदान द्वारा आवश्यक बना दिया गया है ।

(2ग) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्ति और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाएं, चिकित्सा बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करेगा ।

(2घ) चिकित्सा बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) स्त्री रोग विज्ञानी ;

(ख) बाल रोग विज्ञानी ;

(ग) विकिरण विज्ञानी या पराश्रव्य विज्ञानी ; और

(घ) ऐसी संख्या में अन्य सदस्य, जो यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं ।"।

नई धारा 5क का अंत:स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

स्त्री की निजता का संरक्षण ।

"5क. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी स्त्री, जिसकी गर्भावस्था का इस अधिनियम के अधीन समापन किया गया है, के नाम और अन्य विशिष्टियों का सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, प्रकटन नहीं करेगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्त्री ;

(कख) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी धारा 3 की उपधारा (2क) के अधीन विभिन्न गर्भावधियों के गर्भ के समापन के लिए राय की अपेक्षा है, के मानक ;

(कग) धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन चिकित्सा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) कतिपय गर्भों के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों द्वारा समापन और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम, स्त्रियों, जिन्हें कतिपय विनिर्दिष्ट स्थितियों के अधीन गर्भ का समापन करने की आवश्यकता है, के लिए सुरक्षित, वहनीय, पहुंचनीय गर्भपात सेवाओं की, महत्ता को मान्यता प्रदान करता है।

2. समय के साथ और सुरक्षित गर्भपात के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, गर्भों के समापन के लिए गर्भावधि की ऊपरी सीमा में वृद्धि करने की गुंजाइश है, विशेषकर ऐसी अशक्त स्त्रियों के लिए और ऐसे गर्भाधारण के लिए, जिनमें गर्भाधारण के काफी समय के पश्चात् सारवान भ्रूण अनियमिताओं का पता लगता है । इसके अतिरिक्त, स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने की आवश्यकता है, ताकि असुरक्षित गर्भपात द्वारा कारित मातृ मृत्यु दर और अस्वस्थता दर तथा उसकी जटिलताओं में कमी लाई जा सके । कतिपय विनिर्दिष्ट स्थितियों के अधीन गर्भावधि सीमा बढ़ाने की आवश्यकता तथा मांग और स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, उक्त अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष वर्तमान अनुज्ञेय सीमा से परे भ्रूण अनियमितताओं या स्त्रियों द्वारा लैंगिक हिंसा के कारण गर्भाधान के आधार पर गर्भों के समापन के लिए अनुज्ञा हेतु अनेक रिट याचिकाएं फाइल की गई हैं ।

3. तदनुसार, गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020, अन्य बातों के साथ—

(क) गर्भाधारण के बीस सप्ताह तक गर्भाधान की समाप्ति के लिए एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय की अपेक्षा ;

(ख) गर्भाधारण के बीस से चौबीस सप्ताह तक गर्भाधान की समाप्ति के लिए दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय की अपेक्षा ;

(ग) ऐसी स्त्री की कोटि की दशा में, जो इस निमित्त नियमों द्वारा विहित की जाए, गर्भावस्था की ऊपरी सीमा को बीस सप्ताह से चौबीस सप्ताह बढ़ाने ;

(घ) जब किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा पता लगाई गई किन्हीं सारवान भ्रूण अनियमितताओं के कारण गर्भाधान का समापन आवश्यक हो, की दशा में गर्भावस्था से संबंधित उपबंधों के न लागू होने ;

(ङ) उस स्त्री की निजता की संरक्षा, जिसकी गर्भावस्था का समापन किया गया है,

का उपबंध करता है ।

4. प्रस्तावित विधेयक स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति एक कदम है तथा

यह स्त्रियों की सुरक्षा और देखरेख की क्वालिटी से समझौता किए बिना, सुरक्षित और विधिक गर्भपात तक स्त्रियों के दायरे और पहुंच को बढ़ाएगा । प्रस्ताव ऐसी स्त्रियों, जिन्हें गर्भ समापन की आवश्यकता है, के सम्मान, स्वायतता, गोपनीयता और न्याय को भी सुनिश्चित करेगा ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **डा. हर्ष वर्धन**

14 फरवरी, 2020

उपाबंध

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * *

गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है।

3. (1) * * * *

(2) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि—

(क) जहां गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का न हो, वहां यदि ऐसे चिकित्सा-व्यवसायी ने, अथवा

(ख) जहां गर्भ बारह सप्ताह से अधिक का हो किन्तु बीस सप्ताह से अधिक का न हो, वहां यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों ने,

सद्भावपूर्वक यह राय कायम की हो कि—

(i) गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की जोखिम होगी; अथवा

(ii) इस बात की पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो,

तो वह गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1—जहां किसी गर्भ के बारे में गर्भवती स्त्री द्वारा यह अभिकथन किया जाए कि वह बलात्संग द्वारा हुआ तो ऐसे गर्भ के कारण होने वाले मनस्ताप के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी विवाहिता स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से उपयोग में लाई गई किसी प्रयुक्ति या व्यवस्था की असफलता के फलस्वरूप कोई गर्भ हो जाए वहां ऐसे अवांछित गर्भ के कारण होने वाले मनस्ताप के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति है ।

* * * * *